न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम, भागलपुर (बिहार)

अग्रिम जमानत आवेदन संख्य–739 / 2026

संबंधितः–औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या–81 / 2026 अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),324(2),303(2),352,351(2),351(3), 3(5) B.N.S.

1. सुशील यादव उम्र लगभग–33 वर्ष
2. नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार उम्र–48 वर्ष दोनो पिता–गणेश यादव
3. गणेश यादव उम्र–71 वर्ष पिता–स्व. श्री यादव
4. राहुल यादव उम्र–23 वर्ष पिता–रिंकु यादव उर्फ पिन्कु यादव
5. गौतम यादव उम्र–20 वर्ष पिता–दयानंद यादव

सभी निवासी मोहल्ला–बरारी, थाना–बरारी, जिला–भागलपुर, बिहार.....आवेदकगण / अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य .....अभियोजन पक्ष

आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता :– (1) श्री अजय कुमार सिंहा

सरकार की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– (1) श्री दीप कुमार

आदेश

02.06.2026	1. आवेदकगण / अभियुक्तगण की ओर से औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या–81 / 2026 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 324(2), 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) B.N.S. में दिनांक–10.04.2026 को प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। 2. आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण / अभियुक्तगण के द्वारा इसके अलावा कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध औद्योगिक थाना कांड संख्या–84 / 23 और 83 / 24 तथा औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या–195 / 2025 दिनांक–10.12.2025 को जमीन के पूर्व दुश्मनी के कारण मालिक प्रदीप मंडल के द्वारा दर्ज कराया गया है जिसमें आवेदकगण जमानत पर है। सूचक के द्वारा आवेदक नीरज कुमार के द्वारा औद्योगिक थाना कांड संख्या–74 / 2026 दिनांक–26.03.2026 धारा–126(2), 132, 3(5) B.N.S. से बचने के लिए बनावटी कहानी बनाकर प्रदीप मंडल उर्फ प्रदीप बाबा के संबंधित दर्ज कराया गया है। आवेदक नीरज कुमार अपनी पत्नी के श्रम लाइसेंस के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविदात्मक कार्य कर रहा है और बरारी में समांतर पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा की तलाश कर रहा है। सूचक एवं कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति पुल निगम के क्षेत्र में कार्य में बाधा पहुंचाता है जो कि काम के समय खतरनाक क्षेत्र हो जाता है क्योकि कार्य बिजली के सहायता से किया जाता है और 200 से ज्यादा पशु जबरदस्ती प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करते है। इसके लिए पुल निगम के सुरक्षा प्रभारी के कारण आवेदक ने प्रदीप मंडल के संरक्षित व्यक्तियों के उक्त अवैध कृत्य का विरोध किया और एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन प्रभारी को लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस स्टेशन प्रभारी मामला दर्ज

लगातार.... 02.06.2026	करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए आवेदक ने एस.एस.पी. भागलपुर को कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया, जिसके आधार पर वरिष्ठ एस.पी. भागलपुर ने एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया। एस.एस.पी. भागलपुर के निर्देश पर प्रभारी ओ./सी. ने दिनांक–26.03.2026 को मामला दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके लिए चार दिन बाद सूचना दाता प्रदीप मंडल ने झूठा और मनगढंत मामला दर्ज कराया। प्रदीप मंडल औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन के मामले संख्या I–195/2025 दिनांक–10.12.2025 में याचिका के संबंध में एक झूठे मामले में भी शामिल है, जिसमें आवेदक अग्रिम जमानत पर है और उनकी ए.बी.पी.संख्या I–164/2026 है। प्रदीप मंडल पिता–स्व. राजकिशोर मंडल, भूमि विवादों के कारण आवेदक को झूठे और मनगढंत मामलों में फंसाने वाले मुख्य साजिशकर्ता है और वर्तमान में मुखबिर प्रदीप मंडल का सहयोगी है। आवेदक के द्वारा एक आवेदन एस.एस.पी. भागलपुर को कदम उठाने के लिए दिया। वरीय पुलिस के निर्देश पर वरीय एस.पी. के द्वारा आफिस इंचार्ज के द्वारा प्राथमिकी दिनांक–26.03.2026 को दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को पकड़ा गया। धारा–303(2) बी.एन.एस.{u/s-379 I.P.C.} को छोड़कर सभी धारायें जमानतीय है। धारा–303(2) बी.एन.एस. मौखिक रूप से केस को अजमानतीय बनाने के लिए जोड़ा गया है। न ही कोई घटना सही है और न ही कोई आरोप सहीं है। आवेदकगण उचित बंधपत्र एवं प्रतिभूति देने के लिए तैयार है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि उसे अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए। 3. विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीप कुमार द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा इस कम में इनका कहना है कि आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदकगण पर अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचक एवं पियुष कुमार के साथ मारपीट कर घायल तथा रंगदारी मांगने का आरोप है। कांड दैनिकी में वादी एवं अन्य साक्षियों का बयान है। आगे ये स्वीकार करते है कि प्राथमिकी के अनुसार इस वाद में दो जख्मी सूचक विकम कुमार एवं पियुष कुमार है। दोनो के जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। बार–बार प्रहार का कोई साक्ष्य नहीं है। आगे ये कथन करते है कि आवेदकगण के विरूद्ध तीन आपराधिक इतिहास दर्ज है। आगे ये भी स्वीकार करते है कि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नीरज कुमार के द्वारा औद्योगिक थाना कांड संख्या I–74/2026 दिनांक–26.03.2026 धारा–126(2), 132, 3(5) B.N.S. से बचने के लिए बनावटी कहानी बनाकर प्रदीप मंडल उर्फ प्रदीप बाबा के संबंधी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है, अंत में वे उचित आदेश पारित करने का निवेदन करते है। 4. प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विकम कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसमें उनका कथन है कि "आज दिनांक–01.04.2026 को प्रदीप मंडल, पिता–स्व.

लगातार.... 02.06.2026	राजकिशोर मंडल साकिन–बरारी, थाना–बरारी, जिला–भागलपुर वाले के जमीन में खेती एवं मवेशी पालने का काम करते है, साथ में पियुष कुमार पिता–शैलेश यादव साकिन–जगतपुर, थाना–परवत्ता, जिला भागलपुर करीब 04–05 बजे शाम में अपनी मोटरसाईकिल सुनील चाय दुकान के बगल में लगाकर कुछ भैंस का दूध निकाले थे। अचानक ही 1. सुशील यादव 2. नीरज यादव दोनो पिता–गणेश यादव 3. गणेश यादव पिता–स्व. श्री यादव 4. राहुल यादव पिता–रिंकु यादव 5. गौतम यादव पिता–दयानंद यादव 6. लालू यादव पिता–स्व. ब्रह्मदेव यादव 7. साधु यादव पिता–प्रकाश यादव 8. रंजन कुमार पितास–नारायण मंडल आठो साकिनान–बरारी, थाना–बरारी जिला–भागलपुर 9. निरंजन मंडल पिता–विशन यादव 10. विशन मंडल पिता–स्व. जगरनाथ मंडल दोनो साकिनान–राघोपुर, थाना–परवत्ता, जिला–भागलपुर साथ में पुल निगम के सुपरवाईजर–मुकेश सिंह एवं सुपरवाईजर–गोलु आये और हम दोनो को गाली गलौज करने लगे तथा बोले कि काटकर फेंक देंगे तो अभी कौन बाप बचायेगा। इतना बोलते ही बाल्टी में निकाला दूध उल्टाने लगे, रोकने पर मारपीट करने लगे। सुशील और रंजन तथा निरंजन ने हमदोनो को मारकर जख्मी कर दिये। कनपट्टी में पिस्तौल निरंजन ने सटा दिया, सभी ने मिलकर विक्रम की मोटरसाईकिल का रजि. नंबर–BR-10AL-3340 को कुदाल से मार–मारकर तोड़ दिया। टूल बॉक्स को भी तोड़कर बॉक्स में रखा करीब 6,000/– (छह हजार) रूपये था, जो गणेश यादव ने ले लिया। उपरोक्त सभी लोग हमदोनो को लप्पड़–थप्पड़ से मारकर नाक से खून निकाल दिया। सुशील यादव बॉस की फटरी से मारकर विक्रम का बांह फाड़ दिया और बोला कि जिस बाप को कहना है, कह दो, मालिक प्रदीप बाबा को बोल देना कि 20,00,000/– (बीस लाख) रूपये गणेश यादव को पहुंचा देना, तभी जमीन पर खेती और मवेशी रहेंगे, अन्यथा जान मार देंगे। काफी खराब–खराब गाली गलौज भी दे रहे थे। ईलाज कराने के बाद आज आवेदन दे रहा हूं।" 05. सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिकी के अनुसार इस वाद में दो जख्मी सूचक विक्रम कुमार एवं पियुष कुमार है। दोनो के जख्म को साधारण प्रकृति का बताया गया है। बार–बार प्रहार का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक नीरज कुमार के द्वारा औद्योगिक थाना कांड संख्या I–74/2026 दिनांक–26.03.2026 धारा–126(2), 132, 3(5) B.N.S. प्रदीप मंडल उर्फ प्रदीप बाबा के संबंधी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि पूर्व से ही विवाद है। मामले में अनुसंधान जारी है तथा आवेदकगण न्यायालय के शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुये आवेदकगण/अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है। तदनुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 1 माह के अंदर

लगातार.... 02.06.2026	आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रूपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश निम्न शर्त के साथ दिया जाता है– I. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेंगे। II. आवेदकगण/अभियुक्तगण इस बात का अंडरटेंकिग दाखिल करेंगे कि भविष्य में किसी भी प्रकृति के मामले का अपराध नहीं करेंगें। III. एक जमानतदार आवेदकगण/अभियुक्तगण के निकट संबंधी होगे। IV. आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को उपस्थित रहेंगे। V. आवेदकगण/अभियुक्तगणशांति कायम रखेंगे। VI. आवेदकगण/अभियुक्तगण अपना मोबाईल नंबर अंकित करते हुये इस बात का अंडरटेकिग दाखिल करेंगे कि वे बिना न्यायालय को सूचना दिये हुये न तो अपना मोबाईल नंबर बदलेंगे और न ही मोबाईल स्वीच ऑफ रखेंगे। ह.अधो./ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम, भागलपुर। Date of Judgement/Order: 02-06-2026 Date of reserving Judgement/Order: Uploading Date: 06-06-2026 Uploaded by: B.K., Stenographer